



## प्रेस नोट

**थाना गाजीपुर फतेहपुर पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को 17 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब एक किलो ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया ।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर द्वारा अवैध शराब निष्कर्षण व बिक्री के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी जाफरगंज महोदय जनपद फतेहपुर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.06.2022 को मुझ थानाध्यक्ष द्वारा मय आबकारी टीम के अवैध शराब निष्कर्षण व बिक्री के रोकथाम के दौरान एक नफर अभियुक्त ऊदल पुत्र अर्जुन नि० ग्राम करसंवा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 17 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब एक किलो ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए । जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 136/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि पंजीकृत हुआ अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

**बरामदगी/गिरफ्तारी स्थल-** अभियुक्त के घर के पीछे कच्ची कोठी गांव करसंवा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर ।

**अभियुक्त का नाम-** ऊदल पुत्र अर्जुन नि० ग्राम करसंवा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 35 वर्ष ।

**बरामदगी-** अभियुक्त के कब्जे से 17 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब एक किलो ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण मु०अ०सं०- 136/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-**

1. मु०अ०सं०-136/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि
2. मु०अ०सं०- 14/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर ।
3. मु०अ०सं०- 70/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर ।

**गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-**

1. आनन्दपाल सिंह थानाध्यक्ष गाजीपुर जनपद फतेहपुर
2. उ०नि० वीरेन्द्र प्रसाद थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर
3. उ०नि० सावन कुमार थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर
4. हे०का० धनजंय थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर ।
5. का० पवन चौधरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर ।
6. आबकारी टीम

स्थापना वर्ष - 1922

थाना गाजीपुर  
जनपद - फतेहपुर • मो. 9454403339

PRISM  
CEMENT  
सु. के. सर्व

Toll free: 1800-571-044

